बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

संचिका संख्या 6/वि० 9–55/2010............/वर्त्तमान में बिहार राज्य अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन का समय ग्रीष्मकाल में पूर्वाहन 6:30 बजे से मध्याहन 12:00 बजे तक निर्धारित है एवं शीतकाल के लिए (सोमवार से शुक्रवार तक) पूर्वाहन 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तथा शनिवार को पूर्वाहन 9:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक निर्धारित है।

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं बिहार बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011 के प्रावधानों को लागू करने के क्रम में यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन के उक्त कार्य अवधि में संशोधन किया जाय।

विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों का संचालन पूरे वर्ष में पूर्वाहन् 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक तथा शनिवार को पूर्वाहन् 9:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक किया जाय।

उक्त अवधि में अंतिम एक घण्टा शिक्षकगण Lesson Plan के अतिरिक्त टोला सेवक तथा तालिमें मरकज के शिक्षा स्वयंसेवी के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में कमजोर बच्चों का Remedial teaching / learning Support की व्यवस्था करेंगे।

यह संशोधित समय आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन से सम्बन्धित पूर्व का आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी की सहमति से प्रशासनिक हित में आवश्यकतानुसार उपर्युक्त निर्धारित अवधि में तात्कालीक यथोचित परिवर्त्तन कर सकेंगे।

ह०/–
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–6/वि०9–55/010–804 पटना, दिनांक–26/06/013

प्रतिलिपि–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, महेन्द्रू, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी विद्यालय शिक्षा समिति/आई०टी०मैनेजर शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।
24/6/13

E:\Sec-06\Jha sir\Pradhan sachiv.doc